पत्रांक–11/झा.03–04/2019 1260 /

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सरकार के सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
झारखण्ड ।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक 02/08/2021

विषयः– **राज्य में संचालित सभी सरकारी/सभी आवासीय विद्यालय/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग–09 से वर्ग–12 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 06.08.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने हेतु दिशा–निदेश ।**

प्रसंगः– **गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची का आदेश संख्या–429/ CS /Res दिनांक 31.07.2021 एवं आदेश संख्या–275/ CS दिनांक 01.08.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना (Covid 19) के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" को दृष्टिगत रखते हुए बंद हैं। विदित हो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक–2056 दिनांक 18.12.2020 द्वारा वर्ग–10 एवं वर्ग–12 हेतु विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन दिनांक 21.12.2020 से प्रारम्भ किया गया था, परन्तु कोविड–19 के कारण पुनः माह अप्रैल, 2021 में बंद कर दिया गया है। यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन–अध्यापन का कार्य सरकारी विद्यालयों में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं जे.सी.ई.आर.टी. द्वारा ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से तथा निजी विद्यालयों के द्वारा अपने स्तर से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इसकी पहुँच सीमित है ।

वर्ग–09 से वर्ग–12 के छात्रों के पठन–पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को COVID-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्वपूर्ण हो गया है । इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, रांची के आदेश संख्या 429/CS/Res दिनांक 31.07.2021 एवं आदेश संख्या–275/ CS दिनांक 01.08.2021 द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी/सभी आवासीय विद्यालय/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त

विद्यालयों के वर्ग–09 से वर्ग–12 की कक्षाओं के संचालन हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा–निदेश निम्नवत् है :–

- सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां वर्ग–09 से वर्ग–12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।

अतः राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, रांची के आदेश संख्या 429/CS/Res दिनांक 31.07.2021 एवं आदेश संख्या–275/ CS दिनांक 01.08.2021 द्वारा निर्गत आदेश पत्र की प्रति (अनुलग्नक– 'क') एवं विद्यालयों के संचालन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के साथ वर्ग–09 से वर्ग–12 को खोले जाने हेतु कोविड–19 को दृष्टिपथ रखते हुए अनुपालन हेतु आवश्यक मुख्य बिन्दुओं को अलग से संलग्न (अनुलग्नक– 'ख') कर प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाए तथा पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग–09 से वर्ग–12 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 06.08.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथोक्त् ।

02/08/21

सरकार के सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक–11/झा.03–04/2019 1260 /   **दिनांकः** 02/08/2021

प्रतिलिपिः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांच/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

02/08/21

सरकार के सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची।

परिशिष्ट – 'ख'

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड

राज्य में संचालित सभी सरकारी/सभी आवासीय विद्यालय/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्ग–09 से वर्ग–12 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 06.08.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने के लिए अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा–निदेश

झाखण्ड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संदर्भित आदेश संख्या **429**/CS/Res दिनांक 31.07.2021 तथा आदेश संख्या **275**/CS दिनांक 01.08.2021 में दिए गए निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य के सरकारी/सभी आवासीय विद्यालय/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग–09 से वर्ग–12 की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के पठन–पाठन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को दिनांक 06.08.2021 के प्रभाव से वर्ग–09 से वर्ग–12 में अध्ययनरत बच्चों के लिए कोविड–19 वैश्विक महामारी से बचाव के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों में बच्चों के पठन–पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है ।

सभी विद्यालयों को भारत सरकार एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, रांची द्वारा विद्यालय खोलने हेतु संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन विद्यालय खोलने से पूर्व तथा विद्यालय संचालन अवधि में करना अनिवार्य होगा । इस निमित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति/एस.एम.डी.सी. तथा वर्ग–09 से वर्ग–12 में पढ़ने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावकों को वांछित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही विद्यालय में सभी आवश्यक व्यवस्था एवं दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर विद्यालय संचालित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी:–

1. **विद्यालय खोलने से पूर्व आवश्यक अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश –**

   i. राज्य के सभी सरकारी/सभी आवसीय विद्यालय/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों विद्यालय (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) शिक्षकों के शत–प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

ii. ऑफलाईन कक्षाओं के संचालन हेतु विद्यालय में उपस्थिति के पूर्व सभी शिक्षकों का कोविड–19 के टीकाकरण का दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। टीकाकरण के पश्चात् ही शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होंगे।

iii. जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर कतिपय शिक्षक/छात्रों का कोविड–19 हेतु जांच किया जायेगा।

iv. राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहाँ वर्ग–09 से वर्ग–12 की पढ़ाई होती है, उपरोक्त दिशा–निदेश के आलोक में विद्यार्थियों के साथ संचालित होंगे।

v. विद्यालयों का संचालन में पठन–पाठन हेतु समय पूर्वाह्न 08:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक (कुल चार घंटे) तक होगा। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की कार्यावधि उक्त अवधि तक सीमित नहीं रहेगी।

vi. राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत–प्रतिशत शिक्षक उपस्थित होकर विद्यालय से संबंधित कार्यालय कार्य करेंगे।

vii. आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति के पश्चात् हॉस्टल सुविधा उपलब्ध रहेगी।

viii. शिक्षण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने से पहले विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सामान्य उपयोगिता क्षेत्रों सहित शिक्षण/प्रदर्शनों आदि के लिए निर्धारित कार्य क्षेत्रों को 1% Sodium Hypochlorite Solution के साथ विशेष रूप से Sanitize किया जाये। सामान्यतः बार–बार छूए जाने वाले सतहों यथा–दरवाजा, सीढ़ी इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ix. विद्यालय के अन्दर तथा बाहरी परिसर की साफ–सफाई एवं सभी आवश्यक व्यवस्था दिनांक 05.08.2021 तक सुनिश्चित की जाये, ताकि 06.08.2021 से विद्यालय का संचालन विद्यार्थियों के लिये किया जा सके।

x. सभी शिक्षक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारी ऑनलाइन शिक्षण/टेली–काउंसलिंग और संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

xi. वर्ग–9 से वर्ग–12 के छात्रों के पास कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके लिए माता–पिता/अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

xii. राज्य के सभी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

xiii. शिक्षक और छात्र 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। शिक्षण कार्य हेतु बैठने की योजना शारीरिक दूरी के अनुरूप की जाय।

xiv. विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा।

xv. विद्यालय के अन्दर विद्यार्थियों को टिफिन बॉक्स लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।

xvi. विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी पर फर्श पर विशिष्ट चिह्नों को बनाया जाये। स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष एवं अन्य स्थानों (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) में भी शारीरिक दूरी बनाए रखी जाए।

xvii. सभाकक्ष, खेल और अन्य गतिविधि, जिसमें भीड़भाड़ होने की संभावना हो, पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

xviii. विद्यालय परिसर में किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों हेतु राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का नम्बर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

xix. वेंटिलेशन के लिए CPWD के दिशानिर्देशों का पालन किया जाये, ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

xx. विद्यालय के प्रवेश द्वार पर तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर बच्चों के हाथ Sanitized करने हेतु साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी । आवश्यकतानुसार विद्यालय में Hand Sanitizer की भी व्यवस्था रखी जाये ।

xxi. विद्यालय आने और विद्यालय से जाने के समय बच्चों को शारीरिक दूरी के मापदण्डों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये । इसके लिये विद्यालय के प्रवेश द्वार से वर्ग कक्ष तक 6 फीट की दूरी पर गोल घेरे अथवा चिन्ह अंकित करना सुनिश्चित किया जाए ।

xxii. विद्यालय से बाहर भीड़ से बचने तथा यातायात को विनियमित करने हेतु यातायात पुलिस, समुदाय, स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है ।

xxiii. विद्यालयों के साफ–सफाई एवं Sanitization हेतु आवश्यक व्यवस्था के लिए विद्यालयों में पूर्व से उपलब्ध विद्यालय विकास कोष अथवा विद्यालय प्रबंधन एवं विकास मद की अवशेष राशि से दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए ।

xxiv. विद्यालय साफ–सफाई तथा Sanitization हेतु जिला के जिला आपदा प्रबंधन समिति, नगर निगम/नगरपालिका तथा प्रखण्ड स्तर पर पंचायत कार्यालय से भी संपर्क कर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए ।

xxv. बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य जांच तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय के प्रमुख स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र का सम्पर्क नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाये ।

xxvi. विद्यालयों के दिनांक 06.08.2021 को खुलने के पूर्व सभी वर्ग–9 से वर्ग–12 के छात्रों को विद्यालय संचालन की सूचना एवं समय सारणी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से बच्चों के अभिभावकों को संसूचित करते हुए उन्हें विद्यालय में जरूरी एहतियात अर्थात सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए विद्यालय आने हेतु निदेशित करेंगे। साथ ही विद्यालय खुलने के तिथि अर्थात 06.08.2021 को निम्न अंकित विहित प्रपत्र में अभिभावक की सहमति के साथ विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

छात्र/छात्रा को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक सहमति–सह–घोषणा पत्र		
1	विद्यालय का नाम	
2	छात्र/छात्रा का नाम	
3	वर्ग	वर्ग क्रमांक
4	गृह पता	
5	मोबाइल न0	
6	मैं अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड .... जो वर्ग	

	..........का छात्र/छात्रा है, को शिक्षको के मार्गदर्शन में पठन-पाठन हेतु अपने स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा/रही हुँ।
7	वर्त्तमान में मेरे पुत्र/पुत्री/वार्ड को COVID-19 के कोई लक्षण नही है।
8	मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में COVID-19 के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेंगा।
9	मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में शिक्षको के बातो का अनुपालन करेगा
10	यदि मेरे बच्चे में सर्दी, बुखार, खाँसी, स्वाद या गंध का पता न लगना जैसे लक्षण दिखते हैं, जो कोरोना के भी हो सकते हैं तो मैं इसके विषय में तुरंत विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करूँगी/करूँगा । साथ ही मेरे घर या आसपास यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो मैं इसके विषय में विद्यालय को तुरंत सूचना दूँगी/दूँगा ।
11	इन सबके बावजूद भी यदि मेरे बच्चे को कोरोना संक्रमण होता है तो उसके लिए मैं विद्यालय अथवा किसी सहपाठी/सहपाठियों को दोष नहीं दूँगी/दूँगा ।
12	मैंने इस स्व-घोषणा सह सहमति प्रपत्र को पढ़ा/सुना कर समझने के बाद हस्ताक्षर (अथवा अँगूठे का निशान) कर रहा हूँ ।

माता/पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर

2. विद्यालय खुलने की तिथि एवं संचालन के दिवसों में अनुपालन हेतु दिशानिर्देश –

i. सभी छात्रों एवं शिक्षकों को विद्यालय में फेस कवर/मास्क पहन कर आना है तथा उसे हर समय विशेषकर कक्षा में पहने रहना है ।

ii. बच्चों को अपना मास्क दूसरों के साथ आदान–प्रदान नहीं करना है ।

iii. विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि को विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा विद्यालय आने वाले बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड–19 वैश्विक महामारी के बचाव हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त जानकारी एवं प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा ।

iv. विद्यालय में कक्षा संचालन हेतु बच्चों के बैठने की व्यवस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 6 फीट की न्यूनतम दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों की जवाबदेही होगी।

v. विद्यालय प्रवेश द्वार पर Thermal Scanning यंत्र की सहायता से सभी शिक्षकों, गैर–शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्र–छात्राओं की Thermal Scanning करना अनिवार्य होगा ।

vi. प्रवेश द्वारा के निकट बच्चों के हाथों को Sanitize कराते हुए विद्यालय में प्रवेश में अनुमति प्रदान की जाएगी । इसे सुनिश्चित करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन की होगी ।

vii. वर्ग संचालन में एक मानक दूरी रखी जायेगी, ताकि एक दूसरे को अनावश्यक स्पर्श से बचा जा सके।

viii. यथासंभव वर्ग में दो बेंच–डेस्क के बीच दूरी रखी जाय।

ix. बीमार बच्चे, शिक्षक एवं कर्मचारी विद्यालय नहीं आयेंगे।

x. Flexible Attendance एवं Sick Leave Policy को लागू किया जायेगा, जिससे बीमार होने की स्थिति में बच्चे घर पर ही रह कर पढ़ाई करने को प्रोत्साहित हो।

xi. शत प्रतिशत उपस्थिति/आदर्श उपस्थिति के कारण दिए जाने वाले पुरस्कार/अनुदान को वर्त्तमान में प्रोत्साहित नहीं किया जाय।

xii. अनुपस्थिति/बीमारी/विद्यालय बन्द होने की स्थिति में पढाई की निरंतरता को बनाये रखने हेतु बच्चों को गृह कार्य दिया जाय, ताकि घर में वे पढाई कर सकें।

xiii. सभी बुजुर्ग/गर्भवती कर्मचारी और वैसे कर्मचारी जिन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उन्हें छात्रों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले किसी भी कार्य में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

3. विद्यालय प्रबंधन एवं विकास/विद्यालय प्रबंधन समिति हेतु मानक संचालन प्रक्रियायें

i. विद्यालय प्रबंधन एवं विकास/विद्यालय प्रबंधन समिति का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में बच्चों के अतिक्ति पठन–पाठन से जुड़े शिक्षकों एवं कर्मियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं किया गया हो।

ii. यदि बच्चों में कोरोना वायरस बीमारी के कोई लक्षण (यथा बुखार, गले में खराश, खांसी और सांस की तकलीफ) नहीं हो, तो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें जब तक सरकार द्वारा स्वास्थ्य कारणों से कोई दिशा–निर्देश निर्गत नहीं किया गया हो।

iii. यदि बच्चो को किसी कारण से घर पर रहना हो, तो उन्हे हैण्डवाशिंग एवं अच्छे श्वसन अनुशासन की शिक्षा एवं अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया जाए ।

iv. कोरोना वायरस के संबंध में सरकारी श्रोतों से प्रसारित नवीनतम जानकारी को प्राप्त करते रहें।

v. कोरोना बीमारी से भयभीत ना हो, संयमित रहे एवं सुरक्षित रहें।

vi. विद्यालय संचालन में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए ।

vii. यथासंभव फेस कवर/मास्क, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि जैसी व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं का उचित बैक–अप स्टॉक शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

viii. यथासंभव थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल, साबुन, इत्यादि सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

ix. यथासंभव किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जा सकती है।

x. पूर्णतः ढ़के हुए डस्टबिन और कूड़े के डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

xi. सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. **छात्र–छात्राओं हेतु निदेश :–**

i. छात्र कोरोना वायरस से बिल्कुल भयभीत ना हो, किसी भी समस्या के बारे में अपने सहपाठियों से बात करें।
ii. अपने शिक्षकों से बात करें एवं कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।
iii. अपने हाथ को समय–समय पर कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड तक अच्छे से साफ करें।
iv. अपने आंख, नाक और मुँह को छूने से बचें।
v. खांसी और छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी/रूमाल से अपने मुंह और नाक को ढकें।
vi. वाटर फिल्टर से पानी पीने से पहले हर बार गिलास को अच्छी तरह धो ले एवं किसी भी अन्य व्यक्ति की जूठी बोतल से पानी न पिएं।
vii. यदि आपको बुखार, खांसी, और सांस लेने में कठिनाई हो, तो तुरंत अपने शिक्षक को सूचित करें।
viii. यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें।
ix. सामाजिक दूरी (Social Distancing) के नियमों का पालन करें।
x. अपने आप, अन्य सहपाठियों तथा व्यक्ति के साथ स्पर्श से बचते हुए न्यूनतम छः फीट की दूरी बनाये रखें।
xi. विद्यालय में किसी भी बीमार बच्चे के साथ बुरा बर्ताव न करें एवं उसे तुरंत जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं।

5. **<u>सामान्य दिशानिर्देश :–</u>**

सामान्य निवारक उपायों में सर्वप्रथम सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल है, जिनका COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। इन उपायों को विद्यालय परिसर में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जो निम्नवत् हैः–

i. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।
ii. कोविड–19 के नवीनतम जानकारियों से अवगत होते रहें ।
iii. नजदीकी थाना, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय बनाकर रखे ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके ।
iv. उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति से संपर्क कर विद्यालयों के लिए दवा, सेनेटाईजर, मास्क एवं Thremal Gun की उपलब्धता हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के सहयोग से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है । साथ ही (Sodium Hypochlorite at 01% Disinfected Solution तथा 70% ethyl alcohol based Hand Sanitizers की व्यवस्था भी जिला आपदा प्रबंधन समिति से की जा सकती है ।
v. Disinfectant के छिड़काव हेतु स्प्रे मशिन की व्यवस्था हेतु नगर निगम/नगरपालिक/पंचायत/पंचायत समिति अथवा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/मुखिया से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है ।
vi. यथासंभव किसी भी ऐसी सतह जिसका प्रयोग सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, को छूने के पश्चात् साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40–60 सेकंड के लिए) अनिवार्य होगा।

vii. अल्कोहल–आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिए), जहां भी संभव हो, किया जा सकता है।

viii. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसी या छींकते समय मुंह को एक रूमाल/टीशू/मुड़ी हुई कोहनी से ढ़कने का अभ्यास शामिल है, जिसमें खाँसी/छींकते समय नाक और मुंह को बंद करने का अभ्यास प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ix. सभी के द्वारा स्वास्थ्य की स्व–निगरानी करना और किसी भी बीमारी (लक्षण) की जल्द से जल्द रिपोर्ट करना।

x. यत्र–तत्र थूकना सख्त प्रतिबंधित होगा।

xi. जहां भी संभव हो, आरोग्य सेतु ऐप की उपयोग की सलाह दी जा सकती है।

xii. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी मानक प्रक्रिया को अनुपालित किया जायेगा ।

xiii. जो विद्यालय पूर्व में Quarantine Centre के रूप में कार्यरत थे, उसकी अच्छी तरह से सैनिटाईज किया जाय तथा पूर्ण सफाई–सफाई के उपरांत ही संचालन किया जाय।

6. सभी विद्यालय (वर्ग–9 से वर्ग–12) विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:–

i. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी।

ii. वर्ग–9 से वर्ग–12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने हेतु स्वैच्छिक आधार पर अपने विद्यालय जाने की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए उनके माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस तरह की कक्षा संचालन और शिक्षक–छात्र के बीच के बातचीत को चरणबद्ध तरीके से सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करते हुए आयोजित किया जायेगा।

7. सभी सरकारी/सभी आवासीय विद्यालय/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कक्षाओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन निश्चित रूप से किया जायेगा ।

Government of Jharkhand
Home, Prison & Disaster Management Department
(Disaster Management Division)

ORDER

Whereas, the Ministry of Home Affairs has issued lockdown/Unlock orders vide Order dated 24.03.2020, Order dated 15.04.2020, Order dated 01.05.2020, Order dated 17.05.2020, Order dated 30.05.2020, Order dated 29.06.2020, Order dated 29.07.2020, Order dated 29.08.2020,Order dated 30.09.2020, Order dated 27.10.2020,Order dated 25.11.2020, Order dated 28.12.2020, Order dated 27.01.2021,Order dated 26.02.2021, Order dated 23.03.2021, Order dated 29.04.2021, Order dated 27.05.2021 and Order dated 29.06.2021 due to the prevailing COVID 19 situation;

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005, the Union Home Secretary and Chairman, National Executive Committee has issued an order dated 28.07.2021 directing to consider implementation of targeted and prompt actions for COVID-19 management as communicated vide Ministry of Health and Family Welfare DO Number Z 28015/85/2021-DM Cell dated 28.06.2021 and directing to implement the National Directives for COVID-19 management;

Whereas, in exercise of the power conferred under section 22(2)(h) of the Disaster Management Act, 2005,Secretary Disaster Management Division Jharkhand in his capacity as Member Secretary , State Executive Committee has issued directions to all the Departments of Government of Jharkhand and all the District Administrations for the strict implementation of Guidelines and State Directives vide Order number 375 dated 30.06.2021;

Whereas the situation of COVID-19 has been reviewed and it has been observed that there has been a fall in the number of new COVID-19 cases as well as fall in positivity but at the same time it is anticipated that gatherings and congregations may pose a considerable threat of spread of COVID-19;

Whereas, in exercise of the powers under section 18(2)(d) of the Disaster Management Act, 2005, the State Disaster Management Authority has directed the undersigned to issue an order with guidelines for the containment of COVID 19;

Now therefore, in exercise of the power conferred under section 22(2)(h) of the Disaster Management Act, 2005 the undersigned, in his capacity as Chairperson ,State Executive Committee, hereby directs all the Departments of Government of Jharkhand and all the

District Administrations to ensure that the following guidelines are observed by all **from immediate effect till next order;**

1. All shops are permitted to open till 8 PM in all districts.
2. Restaurants and Bars are permitted to operate sit in dining at 50% capacity on all days including Sunday till 10 PM.
3. All shops shall remain closed from 8 PM on Saturday to 6 AM on Monday. Bars, restaurants, shops and street vendors selling fruits, vegetables, grocery items, sweets, poultry, milk outlets and shops selling eatables are permitted to open on Sunday.
4. Above mentioned restrictions shall not be applicable to medicine shops/ diagnostic centres/clinics/hospitals/ petrol pumps/LPG outlets/CNG outlets/dhabas located on national/state highways /cold storages/warehouses/ unloading of goods.
5. Movie halls/ multiplexes / theatres are permitted to operate at 50 % capacity on all days excluding Sunday till 8 PM.
6. Clubs are permitted to open on all days including Sunday till 10 PM.
7. All Government of India, State Government and private offices are permitted to function with 100%strength of Human Resources.
8. Unhindered transportation/logistics of all goods is permitted.
9. All activities previously permitted shall continue to be permitted.
10. All religious places/places of worship are permitted to open but visitors are prohibited.
11. All outdoor congregations of more than 100 persons are prohibited in the state including marriage and last rites related functions.
12. All indoor congregations of more than 100 persons or 50% of hall capacity, whichever is less, are prohibited.
13. Banquet halls and community halls are permitted to hold congregation of 50 % of hall capacity or up to 100 persons, whichever is less, on all days, including Sunday, till 10 PM.
14. All processions are prohibited.
15. Schools , including residential schools, are permitted to operate offline classes for class 9,10,11 and 12.

i. The SOP/guidelines for health and safety protocol for reopening of schools and learning with social distancing (annexed) issued by Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India shall be complied with.

ii. All students, teachers and personnel shall wear mask properly at all time covering the mouth and nostrils.

iii. Digital content/ online education shall continue to be provided to students.

iv. Attendance shall not be mandatory. It shall be optional for students to attend offline classes.

v. Prior consent of guardian shall be mandatory for students to attend offline classes.

vi. Group cultural activities are prohibited.

vii. Offline tests and examinations are prohibited.

viii. Teachers shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with both doses before coming to schools for offline classes.

ix. District administration shall randomly test the teachers, students and other school personnel for COVID-19 from time to time.

x. Schools may use air conditioning to the minimum possible extent and instead avail of fresh air ventilation in indoor spaces.

16. Colleges and Universities are permitted to operate offline classes for final year of undergraduate courses and final year of postgraduate courses.

i. Guidelines issued by University Grants Commission for reopening the colleges and universities post lockdown due to COVID-19 (annexed)shall be complied with.

ii. All students, teachers and personnel shall wear mask properly at all time covering the mouth and nostrils.

iii. Digital content/ online education shall continue to be provided to students.

iv. Attendance shall not be mandatory. It shall be optional for students to attend offline classes.

v. Group cultural activities are prohibited.

vi. Teachers shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with both doses before coming to college for offline classes.

vii. Students shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with at least one dose before coming to college for offline classes.

viii. District administration shall randomly test the teachers, students and other personnel for COVID-19 from time to time.

ix. Colleges and Universities may use air conditioning to the minimum possible extent and instead avail of fresh air ventilation in indoor spaces.

17. Attendance of teachers and non teaching personnel is permitted in schools, colleges and Universities for administrative purposes.

18. ITI, skill development centres and polytechnics are permitted to operate offline classes.

i. SOP for resumption of academic work in Industrial Training Institutes issued by Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India (annexed)shall be complied with.

ii. All students, teachers and personnel shall wear mask properly at all time covering the mouth and nostrils.

iii. Digital content/ online education shall continue to be provided to students.

iv. Attendance shall not be mandatory. It shall be optional for students to attend offline classes.

v. Group cultural activities are prohibited.

vi. Teachers shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with both doses before coming for offline classes.

vii. Students shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with at least one dose before coming for offline classes.

viii. District administration shall randomly test the teachers, students and other personnel for COVID-19 from time to time.

19. Coaching institutions are permitted to operate offline classes only for students above the age of 18 years..

i. The SOP/guidelines for health and safety protocol for health and safety protocol for reopening of schools and learning with social distancing issued by Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India shall be complied with.

ii. All students, teachers and personnel shall wear mask properly at all time covering the mouth and nostrils

iii. Digital content/ online education shall continue to be provided to students.

iv. Attendance shall not be mandatory. It shall be optional for students to attend offline classes.

v. Group cultural activities are prohibited.

vi. Teachers shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with both doses before coming to college for offline classes.

vii. Students shall be compulsorily vaccinated for COVID-19 with at least one dose before coming to coaching institute for offline classes.

viii. District administration shall randomly test the teachers, students and other personnel for COVID-19 from time to time.

20. Training institutions of Government of India and state government are permitted to function in accordance with SOP (annexed)issued by Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions, Government of India.

21. All examinations to be conducted by various authorities of Government of India, Government of Jharkhand and national examinations conducted by private authorities/ institutions are permitted subject to compliance of SOP dated 10.09.2020 (annexed)issued by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in this regard.

    i. All examinations of final year in undergraduate course and final year in postgraduate course are permitted.

22. All ICDS centres shall remain closed. Home delivery of National Food Security Act entitlements shall be ensured.

23. All fairs and exhibitions are prohibited.

24. All stadiums and gymnasiums are permitted on all days including Sunday. Parks are permitted on all days excluding Sunday.

25. All swimming pools shall remain closed.

26. Bus transport is permitted for interstate movement.

27. Movement of persons is permitted from 11PM to 6 AM only with respect to activities permitted beyond 10PM, air/rail related travel, attending last rites and for discharge of any duty related to control of COVID-19.

28. No person without mask/face cover covering the mouth and nostrils shall be permitted entry in any government office/ railway station/ airport/ bus/ taxi/ auto rickshaw / any other public place like shop etc.

29. The guidelines and state directives annexed shall be followed.

30. Any person violating these guidelines or the attached state directives will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable.

31/07/2021

(Sukhdev Singh)
Chief Secretary
Jharkhand.

Memo no. 429/CS/Res Ranchi, Dated: 31.07.2021

Copy to – Principal Secretary to Chief Minister/PS to all Ministers/DS to Chief Secretary/All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Director General of Police/All Divisional commissioner/DIG/DC/SSP/SP, Jharkhand for information and necessary action.

Copy to –Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India/Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

31/07/2021

Chief Secretary
Jharkhand.

Guidelines on the measures to be taken by Departments of Government of Jharkhand/District Administrations for containment of COVID-19.

1. The directions and national directives communicated vide Order dated 28.07.2021 (annexed) of Ministry of Home Affairs; Government of India shall be implemented.
2. The targeted and prompt actions for COVID-19 management as communicated vide Ministry of Health and Family Welfare DO Number Z 28015/85/2021-DM Cell dated 28.06.2021 (annexed) shall be implemented.
3. The examinees of all examinations permitted shall be exempted from restrictions related to movement out of Containment zone(s) for the purpose of examinations and their admit card shall be treated as entry pass for this purpose. SOP dated 10.09.2020 (annexed) issued by Ministry of Health and Family Welfare shall be complied with.
4. Hotels, Restaurants and other hospitality units such as guest house/Dharamshala/lodge etc shall comply with the SOP on preventive measures laid down by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in this regard on 04.06.2020(annexed).
5. Shopping Malls shall comply with SOP on preventive measures issued by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India on 01.03.2021 (annexed)in this regard.
6. Movie halls and multiplexes shall comply with SOP dated 31.01.2021 (annexed) issued by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India in this regard.
7. All domestic travellers shall comply with the guidelines for domestic travel (air/train/inter-state bus travel) issued by Ministry of Health and Family Welfare Government of India, on 24.05.2020 in this regard (annexed).
8. All international travellers on Vande Bharat and Air Transport Bubble flights shall comply with the SOP issued by Ministry of Home Affairs, Government of India on 22.08.2020 in this regard (annexed).

9. All domestic air travel shall be in accordance with guidelines issued by Ministry of Civil Aviation, Government of India on 25.05.2020(annexed).

10. Haats in rural/urban areas shall be permitted only on the condition that adequate arrangements for ensuring social distancing is ensured. Marking of circles on ground shall be done to ensure social distancing.

11. Offices shall comply with the SOP on preventive measures laid down by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in this regard on 04.06.2020 (annexed).

12. Public transport shall be in compliance with SOP issued by Department of Transport, Government of Jharkhand.

13. The state directives as annexed shall be adhered to while carrying out the permitted activities.

(Sukhdev Singh)
Chief Secretary
Jharkhand.

State Directives for COVID-19 Management

1. Wearing of face cover/mask properly covering the mouth and nostrils is compulsory in public places, in work places, and during transport.
2. Individuals shall maintain social distance of do gaz ki doori in public places.
3. Spitting in public places is prohibited.
4. Persons above 65 years, persons with co-morbidities, pregnant women and children below the age of 10 years are advised to stay at home, except for essential and health purposes.
5. District authorities may advise individuals to install the Aarogya Setu application on compatible mobile phones and regularly update their health status on the app.

Shops

6. Provision for sanitizer will be made at all entry point.
7. All persons in charge of shops will ensure that the number of persons entering the shop shall not exceed the number required to maintain social distance.
8. Wearing of face cover/mask is compulsory by workers and customers.
9. Hand gloves may be worn by all the workers.
10. Shops would ensure frequent sanitisation throughout the day of all points which frequently come into human contact eg. door handles, surface of table/counter etc.
11. Shops would ensure sanitisation of entire workplace and common facilities at the beginning of the day and end of the day.
12. Shops to ensure that any worker suffering from fever/cough/breathing problem does not attend the shop and is referred to nearest health facility.
13. Any customer apparently having cough/breathing problems to be denied entry and may be asked to immediately contact health facility.

31/7/2021

(Sukhdev Singh)
Chief Secretary
Jharkhand.

Government of Jharkhand
Home, Prison & Disaster Management Department
(Disaster Management Division)

ORDER

Addendum

In exercise of the powers conferred under section 22(2)(h) of the Disaster Management Act, 2005 the undersigned, in his capacity as Chairperson, State Executive Committee, hereby amends the Order number 429 dated 31.07.2021 by adding the following provisions:

1. Clause 15(xi) :
   " Offline classes in schools for class 9,10,11 and 12 shall be for duration not exceeding 4 hours and shall not extend beyond 12 PM."
2. Clause 15(xii) :
   " The attendance of teachers and non teaching personnel shall not be constrained by the duration of offline classes in schools."
3. Clause 15(xiii) :
   " Hostel accommodation is permitted for students attending permitted offline classes."
4. Clause 16(x) :
   " Offline classes in colleges and universities for final year of undergraduate course and final year of post graduate course shall be for duration not exceeding 4 hours and shall not extend beyond 12 PM."
5. Clause 16(xi):
   " The attendance of teachers and non teaching personnel shall not be constrained by the duration of offline classes in colleges and Universities ."
6. Clause 16(xii) :
   " Hostel accommodation is permitted for students attending permitted offline classes."
7. Clause 19(ix) :
   " The number of students(above the age of 18 years) in offline classes in coaching institutions shall not exceed 50% ofhall/ room capacity ."

01/08/2021

(Sukhdev Singh)
Chief Secretary,

Memo no. 275/C.S
Ranchi, Dated: 01/08/21

Copy to – Principal Secretary to Chief Minister/PS to all Ministers/All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Director General of Police/All Divisional commissioner/DIG/DC/SSP/SP, Jharkhand for information and necessary action.

Copy to –Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India/Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

01/08/2020

Chief Secretary,
Jharkhand